सत्यमेव जयते

CERTIFICATE OF REGISTRATION

UNDER THE SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. S/4014/SDM/NW/2024

I hereby certify that:

"GONDWANA GOND MAHASABHA"

Located at: "H.NO-B-95, GALI NO-5, N/R MOTHER DAIRY, SHIV VIHAR, KARALA, DELHI-110081"

has been registered* under/

THE SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860 (DELHI)

Given under my hand at Delhi on this 20th day of Feb. 2024 (TWO THOUSAND TWENTY ~~THREE~~ Four).

Fee of Rs. 50/- paid

REGISTRAR OF SOCIETIES
DISTRICT NORTH-WEST
GOVT. OF NCT OF DELHI

Registrar of society
District North-West
Govt. of NCT of Delhi

REGISTRAR OF SOCIETIES

* * This document certifies registration under the Societies Registration Act, 1860. However, any Government Department or any other Association / Person may kindly make necessary Certification (On their own) of the assets and liabilities of the Society before entering into any contract / agreement with them subject to certain conditions as under:

I. The Society is not allowed to use translated and abbreviated/acronym version of its names.

II. The Society will use their name with prefixes, etc. as has been mentioned in this letter.

III. The Society will show its name along with the caption below that it is governed by private Body/Society where used.

The name may not be used for any commercial purpose or trade or business or profession, certification/ affiliation /recognition to other organization etc.

36/C

संस्था का ज्ञापन

1. **संस्था का नाम** : "गोंइवाना गोंड़ महासभा"
2. **संस्था का प्रधान कार्यालय** : मकान नं बी 95, गली नं 5 नजदीक मदर डेरी, शिव विहार, करावला, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 110081 होगा।
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र** : संपूर्ण भारत होगा।
4. **संस्था का उददेश्य (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)**

1. गोंड़ समाज के सर्वांगीण विकस हेतु कार्य करना।
2. शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, सामाजिक उत्थान एवं संवैधानिक अधिकारों को हासिल करना।
3. भारत वर्ष के समस्त राज्यों के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, संवर्धन कराना।
4. गोंड़ समाज के महापुरूषों शासकों एवं वीरांगनाओं के जीवन-चरित्रों की खोज एवं संकलन कर समुदाय में प्रचार-प्रसार करना।
5. गोंड़ समाज को संगठित कर सामंजस्य स्थापित करना।
6. गोंड़ समाज के कमजोर एवं पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक शैक्षणिक एवं बौद्धिक सहायता प्रदान करना।
7. समाजहित में केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुँचाना।
8. संविधान में दिये गये प्रावधानों का समुचित पालन हेतु निगरानी रखना, राज्य एवं केन्द्र सरकार को अवगत कराना।
9. मद्यपान, दहेज प्रथा एवं अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास करना।
10. गोंड़ी धर्म, भाषा, संस्कृति का संवर्धन एवं संरक्षण करना तथा टुन्डा (जन्मसंस्कार), मुण्डा (विवाह संस्कार), कुन्डा (मृत्यु संस्कार) व्यवस्था को समाज में अनिवार्य रूप से पालन करवाना।
11. समाज में खर्चीली विवाह पर रोकथाम करना एवं बाल विवाह पर अंकुश लगाना।

अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष

12. देश के अन्दर गोंइवाना के प्राचीन गढ़, मंदिर, किलों एवं धरोहरों, ऐतिहासिक इमारतों के रख-रखाव पर शासन का सहयोग करना एवं आराध्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना हेतु समितियों का गठन कर संचालन करवाना।
13. समाज की अस्मिता की रक्षा व समाज में व्याप्त कुरीतियों, मतभेदों को सामाजिक स्तर के बैठकों में रूढ़िगत परम्परा के अनुसार निराकरण करवाना।
14. देश के जिन प्रदेशों में गोंइ समाज के लोग निवासरत् हैं, उन प्रदेशों में संभाग, जिला, ब्लाक व परिक्षेत्र स्तर पर महासभा के निर्देशों का पालन कराना।

संस्था की सभी आय, कमाई, चल/अथवा अचल संपतियों का उपयोग और उपयोग केवल संस्था के ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों और वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा और उस पर कोई लाभ भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। सीधे या प्रत्यक्ष रूप से लाभांश, बोनस, मुनाफ़े के माध्यम से या किसी भी तरीके से संस्था के वर्तमान या पूर्व सदस्यों को या वर्तमान या पूर्व सदस्यों में से किसी एक या अधिक के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को " संस्था के किसी भी सदस्य को कोई लाभ नहीं होगा" संस्था की किसी भी चल या अचल संपत्ति पर व्यक्तिगत दावा करना या उस सदस्यता के आधार पर कोई भी लाभ कमाना।"

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

कार्यकारिणी सदस्यः-

कार्यकारिणी के वर्तमान सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय और पदनाम, जिन्हें संस्था का प्रबंधन सौंपा गया है, जैसा कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 2 के तहत आवश्यक है, इस प्रकार हैं। -

क्र.	प्रत्येक सदस्य का नाम	पूर्ण पता	व्यवसाय	पदनाम
1	श्री रामचन्द्र नेताम	बम्लेश्वरी कॉलोनी, वॉर्ड 51, बोरसी जिला-दुर्ग (छ.ग.) 491001	शासकीय सेवक सेवानिवृत्त	अध्यक्ष
2	श्री भुवन सिंह कोर्राम	वार्ड न.3 सम्राट नगर, वारासिवनी, वारासोनी बालाघाट म.प्र. 481331	ग्लोबल व्यवसाय	कार्यकारी अध्यक्ष
3	श्री कमलेश कुमार	रामगढ जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश	सामाजिक कार्यकर्ता	उपाध्यक्ष
4	श्री अरका मानिक राव	ग्राम गुनजाला जिला आदिलाबाद आंध्रप्रदेश 504311	शासकीय सेवक	उपाध्यक्ष
5	श्री मुरलीधर वी. टेकाम	किरजनला सुल्तानपुर, ता. तांदुर रेल्वे अमरावती महाराष्ट्र	भूमका (धर्माचार्य)	उपाध्यक्ष
6	श्री तरूण नेताम	म.नं 1/79 दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर1 रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय सेवक	महासचिव
7	श्री झुरोचन्द्र गौर	गाम्र भेलाडाटि लालगारि, पो.मढारत जिला नगाँव आसाम	सेवानिवृत्त	सचिव

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
4 AUG 2023

अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष

8	श्री कमलेश कुमार सिंह	खुटिया, पो व था. घुरकी जिला गढवा झारखंड 822121	सामाजिक कार्यकर्ता	सचिव
9	शम्भू नाथ	मकान नं बी 95, गली नं 5 नजदीक मदर डेरी, शिव विहार, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 110081	शासकीय सेवक	सचिव
10.	श्री घासीराम मांझी	रामनगर, नुआपाडा, जिला नुआपाड़ा उड़ीसा 767104	कृषि	कोषाध्यक्ष
11.	श्री माडवी राजा मारकन्डे	13-4-156/2 कोर्राजुला गुट्टा भद्राचलम खम्मम आंध्रप्रदेश 507111	शासकीय सेवक	संयुक्त सचिव
12.	श्री श्याम सुन्दर ध्रुव	बरायमा, खडगपुर (एम) पश्चिमी मीडनापुरे पश्चिमी बंगाल 721304	शासकीय सेवक	संयुक्त सचिव
13.	श्री शोभीराम नेताम	सेक्टर-9 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	सेवानिवृत्त शासकीय सेवक	राष्ट्रीय सलाहकार

O. P. CHAUDHARY NOTARY PUBLIC Regd. No. Govt. of India

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

4 AUG 2023

Signature Attested at Sr. No.

अध्यक्ष   महासचिव   कोषाध्यक्ष

इच्छुक व्यक्ति:

हम समझते हैं कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत "गोंडवाना गोंड महासभा" नाम से एक संस्था बनाने के इच्छुक हैं:-

क.	प्रत्येक सदस्य का नाम	पूर्ण पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री रामचन्द्र नेताम	बम्लेश्वरी कॉलोनी, वॉर्ड 51, बोरसी जिला-दुर्ग (छ.ग.) 491001	शासकीय सेवक सेवानिवृत	
2	श्री भुवन सिंह कोरीम	वार्ड न.3 सम्राट नगर, वारासिवनी, वारासोनी बालाघाट म.प्र. 481331	ग्लोबल व्यवसाय	
3	श्री कमलेश कुमार	रामगढ जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश	सामाजिक कार्यकर्ता	
4	श्री अरका मानिक राव	ग्राम गुनजाला जिला आदिलावाद आंध्रप्रदेश 504311	शासकीय सेवक	
5	श्री मुरलीधर वी. टेकाम	किरजगांव सुर्लीमहर, ता. तांदुल रेल्वे अमरावती महाराष्ट्र	भूमका (धर्माचार्य)	
6	श्री तरूण नेताम	म.नं. 179 दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर1 रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय सेवक	
	श्री झुरांचन्द्र गौर	गाम भेलाडाटि लालगारि, पो.मढारत जिला नगॉव आसाम	सेवानिवृत	

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
AUG 2023

अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष

११/(1) ०,

31/C

8	श्री कमलेश कुमार सिंह	खुटिया, पो व था. घुरकी जिला गढवा झारखंड 822121	सामाजिक कार्यकर्ता	K.K.Singh
9	शम्भू नाथ	मकान नं बी 95, गली नं 5 नजदीक मदर डेरी, शिव विहार, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 110081	शासकीय सेवक	
10.	श्री घासीराम मांझी	रामनगर, नुआपाडा, जिला नुआपाड़ा उड़ीसा 767104	कृषि	
11.	श्री माडवी राजा मारकन्डे	13-4-156/2 कोर्राजुला गुट्टा भद्राचलम खम्मम आंध्रप्रदेश 507111	शासकीय सेवक	
12.	श्री श्याम सुन्दर ध्रुव	बरायमा, खडगपुर (एम) पश्चिमी मीडनापुरे पश्चिमी बंगाल 721304	शासकीय सेवक	
13.	श्री शोभीराम नेताम	सेक्टर-9 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	सेवानिवृत्त शासकीय सेवक	

O. P. CHAUDHARY NOTARY PUBLIC Govt. of India Regd. No. 1464

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

4 AUG 2023

Signature Attested

at S. No. 8/23

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

// नियमावली //

"गोंड़वाना गोंड़ महासभा"

1. **सदस्यता** - संस्था के निनिम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें:-

(अ) [redacted]

(ब) **आजीवन सदस्य:-** जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 1,000/- या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 9,000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य:-** जो व्यक्ति 200/-रू. प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है, जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों से छः माह तक चन्दा नही देगा, उसकी सदस्यता स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्माननीय सदस्य** :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बन सकते हैं, जो कि समाज प्रमुख हो ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकता हैं, उसको मत देने का ~~नो~~ अधिकार होगा।

2. **सदस्यता की प्राप्ति** :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि संस्था का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप से आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा, उसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

3. **सदस्यों की योग्यता** :- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए :-

(1) भारत का नागरिक हो।

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

39/C

(2) आयु 18 वर्ष वर्ष से कम न हो।

(3) महासभा के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा लेता हो।

(4) सदाचारी हो तथा मद्यपान न करता हो।

4. सदस्यता की समाप्ति:- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी

(1) शारीरिक दोष होने पर, या मृत्यु हो जाने पर।

(2) संस्था विरोधी कार्य करने एवं नियमावली की अवहेलना करने पर।

(3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम-5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

(4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर।

(5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसको निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

(6) कार्यकारिणी सदस्य 7 से कम और 21 से अधिक नहीं होगी।

(7) यदि कोई पदाधिकारी किसी राजनीतिक पद धारण करता है, तो उसका पद, स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

5. (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा के नियम-5 (अ.ब.स.द.) में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर ... दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्यों को इसकी सूचना दी जावेगी।

(ब) बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा, संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसके संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन/मनोनयन किया जावेगा, यदि संबंधित आम-सभा का आयोजन उसी समय नहीं किया जाता है, तो पंजीयक को अधिकार होगा कि, वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्ग-दर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत/मनोनयन कराया जावेगा।

अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष

29/C

(स) **विशेष सभा** :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी, विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करे तो उसके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जायेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा संस्था को परामर्श देने का अधिकार होगा।

6. **साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य:-**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

7. **प्रबंधकारिणी सभा:-** प्रबंधकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व प्रत्येक प्रबंधकारिणी सदस्य को भेजी जायेगी। बैठक का कोरम 2/3rd सदस्यों से होगा। यदि बैठक में कोरम पूर्ण नही होता है तो एक घंटे के लिए स्थगित कर उसी स्थान पर पुनः बैठक की जावेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

8. **कार्यकारिणी:-** राष्ट्रीय पर्वों का गठन - नियम 15 (अ.ब.स.द.) दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी (रजिस्टर) में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों का निर्वाचन/मनोनयन होगा। कार्यकारिणी सदस्यता की संरचना निम्नानुसार होगी:-

अध्यक्ष 1

कार्यकारी अध्यक्ष.....1

उपाध्यक्ष 3

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

महासचिव.............................. 1

सचिव 1

कोषाध्यक्ष..............................1

संयुक्त सचिव..............................2

राष्ट्रीय सलाहकार..............................1

सदस्य ....0 से 8

उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे-

(अ) पत्येक प्रान्त के प्रान्ताध्यक्ष पदेन कार्यकारिणी सदस्य होगें ।

(ब) पदेश स्तरीय संगठनों में गोंड समाज के व्यक्ति अध्यक्षीय पद धारण करने वाले अथवा समाज द्वारा नामांकित पदाधिकारी/व्यक्ति ।

(स) विशेष आमंत्रित सदस्य:- राष्ट्र /प्रदेश के गोंड समाज के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गत वर्षो में सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया है, तथा जिसकी अभिरूचि आदिवासी समाज को संगठित करने, आर्थिक मदद करने, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास एवं संवैधानिक मामलों में हो तथा जिसका मनोनयन राज्य स्तरीय बॉडी द्वारा किया गया हो, जिनकी अधिकतम संख्या 05 होगी ।

9. **प्रबंधकारिणी का कार्यकाल:-** प्रबंध कारिणी संस्था का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा । संस्था का यथेष्ट कारण होने पर उसी समय तक अर्थात तक कि नई प्रबंधकारिणी संस्था का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

10. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य:-**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना:-

1- गोंड समाज के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य- करना ।

अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष

2- शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, सामाजिक उत्थान एवं संवैधानिक अधिकारों को हासिल करना।

3- भारत वर्ष के समस्त राज्यों के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, संवर्धन कराना।

4- गोंड़ समाज के महापुरूषों, शासकों एवं वीरांगनाओं के जीवनी-चरित्रों की खोज एवं संकलन कर समुदाय में प्रचार-प्रसार करना।

5- गोंड़ समाज के कमजोर एवं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता प्रदान करना।

6- गोंड़ समाज के हितों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं/योजनाओं आदि का व्यापक प्रचार-प्रचार कर अधिकाधिक लाभ पहुंचाना।

7- संविधान में दिये गये प्रावधानों को समुचित पालन हेतु निगरानी रखना, राज्य एवं केन्द्र सरकार को अवगत कराना।

8- मद्यपान, दहेज प्रथा एवं अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास करना।

9- गोंड़ समाज के व्यक्तियों को आत्म निर्भर बनाने, उनकी आर्थिक दशा सुधारने एवं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने हेतु सचेत करना आदि ....

10- अधिकारों के प्रति सजग रहने हेतु सचेत करना आदि ....

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) संस्था एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, अन्य आदि की नियुक्ति करना।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नही की जायेगी।

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विघटन में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत में संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

11. **अध्यक्ष के अधिकार:-** अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा महासचिव/सचिव द्वारा साधारण सभा में पबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

12. **उपाध्यक्ष/संभागीय अध्यक्ष के अधिकार:-** अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष/संभागीय अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

13. **महासचिव/सचिव/संयुक्त सचिव के अधिकार:-**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(3) महासचिव/सचिव के लिए एक समय में 5,000/- रू. व्यय करने का अधिकार होगा।

14. **संयुक्त सचिव के अधिकार :-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेंगे।

15. **कोषाध्यक्ष के अधिकार:-**

(क) समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा महासचिव/सचिव कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(ख) समिति के आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

16. **विधिक सलाहकार :-** संस्था के समस्त विधिक मामलों का निराकरण किया जावेगा। धारा के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सोसायटी राष्ट्रपति के नाम पर

अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष

मुकदमा कर सकती है और/या मुकदमा दायर कर सकती है। 6 "सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860", जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू है।

17. चुनाव:- आम सभा अपनी वार्षिक बैठक में अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों के साथ-साथ शासी निकाय के कार्यकारी सदस्यों का चुनाव हर पांच साल के बाद गुप्त मतपत्र द्वारा या चुनाव कार्यालय द्वारा तय किए गए हाथ उठाकर, [redacted] करेगी। [redacted]

18. **संशोधन** :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी । ज्ञापन, नियमों और विनियमों में कोई भी संशोधन "सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860" की धारा 12 और 12 ए के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होता है।

19. **विघटन** :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 से पारित किया जावेगा, पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समाज उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी, उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी । यदि सोसायटी को भंग करने की आवश्यकता है, तो इसे धारा के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार भंग किया जाएगा। 13 और 14 "सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860"।

20. **संपत्ति** :- संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नही की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

21. **बैंक खाता** :- संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

। धन का आहरण अध्यक्ष, महासंचिव एवं कोशाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा ।

दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम 10,000/- रू. रहेगा ।

22. आवश्यक प्रमाणपत्र :- प्रमाणित किया जाता है कि यह सोसायटी के नियमों एवं विनियमों की सही प्रति है।

23. वार्षिक सूची
प्रत्येक वर्ष में एक बार कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की एक सूची सोसायटी रजिस्ट्रार को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा के तहत एवं कर्नाटक आवश्यक है।

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष